

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक.उपाधि/4378

दिनांक. 2.11.78

अधिसूचना

समस्त सम्बधितो को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय से प्राप्त पूर्व में जारी उपाधि खोने, नष्ट एवं अनेक कारणों से अनुलिपि उपाधि प्राप्त करने हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) अथवा सार्वजनिक सूचना (Public Notice) की प्रति प्रस्तुत करने पर ही अनुलिपि उपाधि जारी की जायेगी। पूर्व नियम यथावत रहेगे।

कुलपति के आदेशानुसार

वे.म.।३

कुलसचिव

प्रतिलिपि-

(1) कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप-सहायक कुलसचिव (परीक्षा)